

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर
पीठासीन अधिकारी :- श्री अनिल कुमार आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या - 116/2025
उनवान

1. जगमाल सिंह पुत्र बांक
सिंह जाति पुरोहित
निवासी चाडार दखणाद
तहसील रामसर।
राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज०गू०राज० अधिनियम

बनाम

1. तहसीलदार रामसर।

आदेश

दिनांक 21.03.2025

रजस्व आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी श्री जगमाल सिंह पुत्र बांक सिंह जाति पुरोहित निवासी चाडार दखणाद तहसील रामसर का स्वयं के नाम से खातेदारी खेत खाता नंबर 154 खसरा नंबर 304/93 रकबा 0.6475 हेक्टैयर मौजा चाडार दखणाद पटवार मण्डल चाडार मदरूप में आया हुआ है। जिसमें सयुक्त खातेदारी में प्रार्थी का नाम श्री जगमाल सिंह पुत्र बांक सिंह जाति पुरोहित निवासी चाडार दखणाद तहसील रामसर। की जगह जगु पुत्र बांकाराम जाति पुरोहित भूलवंश संवहन से दर्ज हो गया। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड यथा जमाबंदी ऑनलाईन करते समय जगु पुत्र बांकाराम जाति पुरोहित दर्ज हो गया। अतः राजस्व रिकॉर्ड में पुनः सही इद्रार्ज सही नाम श्री जगमाल सिंह पुत्र बांक सिंह जाति पुरोहित निवासी चाडार दखणाद तहसील रामसर। करवाने का प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 28.03.2025 को प्रस्तुत किया गया। पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं समस्त दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर प्रार्थी के नाम से खातेदारी खेत खाता नंबर 154 खसरा नंबर 304/93 रकबा 0.6475 हेक्टैयर मौजा चाडार दखणाद पटवार मण्डल चाडार मदरूप में आया हुआ है। जिसमें सयुक्त खातेदारी में प्रार्थी का नाम श्री जगमाल सिंह पुत्र बांक सिंह जाति पुरोहित निवासी चाडार दखणाद तहसील रामसर नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर नुसार दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 09.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर पारित किया गया।



(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
रामसर

दिनांक 09.04.2025

571-72